रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 1972/चैत्र 10, 1894

No. 56] **NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1972/CHAITRA 10, 1894**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th March 1972

SUBJECT:—*Import and export of goods from and to Afghanistan.*

No. 46-ITC(PN)/72.—In supersession of Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 45-ITC(PN)/72, dated 29th March, 1972, it has been decided that import and export of goods from and to Afghanistan may be permitted subject to the condition that in respect of export of goods from India to Afghanistan, the exporter shall produce a landing certificate to the concerned licensing authority in India/Reserve Bank of India, issued by the Afghan Customs authorities, within 15 days of *despatch* of the goods, in case they are sent by air, and within 45 days of *despatch* of the goods in case they are sent by sea/land route.

2. Failure to produce the requisite landing certificate will render the exporter/importer concerned liable to penal action under the Imports and Exports Trade Control/Foreign Exchange rules and regulations.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1972

विषय : माल का अफगानिस्तान से आयात और अफगानिस्तान को निर्यात ।

संख्या: 46 आई०टी०सी० (पी० एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनकि सूचना सख्या 45–आई०टी० सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 29 मार्च, 1972 के अनुसरण में, यह निश्चय किया गया है कि माल का अफगानिस्तान से आयात और अफगानस्तिान को निर्यात की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जाए कि निर्यातक भारत से अफगानिस्तान को माल के निर्यात के संबंध में अफगानिस्तान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया एक अवतरण प्रमाण-पत्र, यदि वायुमार्ग से भेजा जाता है तो माल चलता होने के 15 दिनों के भीतर और यदि माल समुद्री/स्थल मार्ग से भेजा जाता है तो माल चलता होने के 45 दिनों के भीतर भारत में सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों/भारत के रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा ।

2. अपेक्षित अवतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर सम्बद्ध निर्यातक/आयातक के विरुद्ध आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण/विदेशी मुद्रा विनिमय नियमों तथा विनियमों के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

एम०एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972